RAJYA SABHA

Monday, the 3rd March, 2003/12 *Phalguna,* 1924 *{Saka)*

The House met at eleven of the clock,

THE DEPUTY CHAIRMAN In the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

———

THE DEPUTY CHAIRMAN: Q.No. 161.

161 .[The questioner (Dr. Akhilesh Das) was absent. For answer vide pages 45-46.]*

आयुर्वेदिक संस्थाओं का तेजी से बढ़ना

*162. **श्री मोती लाल वोरा** :
श्रीमती प्रेम करियप्पा :†
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में आयुर्वेद एंव वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का अधूरा प्रशिक्षण देने वाली अनेक संस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं और हाल ही में वैद्यनाथ रिसर्च फाउंडेशन ने छह माह का कोर्स शुरू किया है,

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं को रोकने तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण देने के लिए इनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है ।

विवरण

सरकार को मालूम है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एंव होम्योपैथी के अनेक कालेज अवसरंचात्मक सुविधाओं के बारे में निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा किए हैं बगैर ही पाठ्यक्रम

सभा में यह प्रश्न श्रीमती प्रेमा करियप्पा द्वारा पूछा गया ।

चला रहे हैं । सरकार ने ऐसे अवमानक कॉलेजों की वृद्धि रोकने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 और होम्यापैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन कर दिया है । किए गए संशोधन के अनुसार नया कॉलेज चलाने, सीटों की संख्या बढ़ाने और नए अथवा उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा । निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किए बगैर किसी संस्थान को कॉलेज चलाने, सीटें बढ़ाने और नया अथवा उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

सरकार विनियामक परिषदों के अनुमोदन के बगैर पाठ्यक्रम चला रहे संस्थानों से भी अवगत हैं । ऐसे संस्थानों की अर्हताओं को प्रैक्टिस के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान नहीं की जाती है ।

मैसर्स वैद्यनाथ रिसर्च फाउंडेशन ने आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान करने और जागरूकता पैदा करने के लिए आयुर्वेद में एक अल्पकालिक प्रारंभिक पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम को अनुमोदित नहीं किया गया है । इस पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे व्यक्ति , आयुर्वेद औषधियों के चिकित्साभ्यास के पात्र नहीं होंगे ।

Mushrooming of Ayurvedic Institutes

†162. SHRIMOTILALVORA;
SHRIMATI PREMA CARIAPPAA:††

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Governrnent are aware that several institutes are mushrooming in the country to provide incomplete training in Ayurveda and alternative system of medicine and recently a six months' course has been started by Vaidyanath Research Foundation;

(b) if so, the steps Government have taken to prevent mushrooming of such institutes and to take action against these institutes for inadequate training; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.
††The question was actually asked on the floor of the House by 6hrimati Prema Cariappa.

Statement

The Government are aware that a number of colleges under the Indian Systems of Medicine and Homoeopathy are conducting courses without adherence to minimum standards laid down in regard to Infrastructural facilities. In orderto check the growth of such sub-standard colleges, the Government has amended the Indian Medicines Central Council Act. 1970 and the Homoeopathy Central Council Act, 1973. As per amendment, prior permission of Central Government would be necessary for starting a new college, increase in the number of seats and opening of new or higher course of study. The Institute without fulfilling laid down requirements will not be permitted to start a college, increase seats and open a new or higher course of study.

The Government are also aware of institutes running courses not approved by the Regulatory Councils.The qualifications of such Institutes are not recognised for the purpose of practice.

M/s Vaidyanath Research Foundation has started a short-term Introductory course in Ayurveda for imparting knowledge of Ayurveda and awareness.The course has not been approved. Pers -jns undergoing this course will not be eligible to practice Ayurveda Medicines.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA; Madam, Deputy Chairperson, the hon. Minister has stated in her reply, "The Government are also aware of institutes running courses, not approved by the Regulatory Councils.The qualifications of such institutes are not recognised for the purpose of practice." I would like to know from the hon. Minister, when these institutes are not recognised and approved by the Regulatory Council, why are you letting them to run these courses? The people don't know whether these institutes are recognised or not. And the students, who join these colleges, suffer the most. I would like to know from the hon. Minister whether these training institutes, which fulfil the minimum standards, as laid down by the Government, are proposed to be registered or not. I would also like to know whether the Govemment have prescribed standard course contents for these institutes. If so, the details thereof?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, एक सप्लीमेंट्री में दो सवाल माननीय सदस्या ने पूछे हैं, मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगी । जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है जिसमें इन्होंने पूछा है कि जो इंस्टिट्यूशन्स इस तरह के कोर्सिस रन कर रहे हैं, अगर हमने कहा है कि हमारे पास उनकी

जानकारी है तो उन इंस्टिट्यूशन्स को वे कोर्सिस रन क्यों करने दे रहे हैं और स्टूडेंट्स को इंस्टिट्यूशन्स के बारे में कैसे यह जानकारी मिलेगी कि यह रिकग्नाइज्ड कोर्सिस के इंस्टिट्यूशन्स हैं और ये नहीं हैं? जहां तक इन कोर्सिस को रन करने का सवाल है, देश में बहुत-सी ऐसी-चीजें हो रही हैं जो कि कानून के तौर पर वैध नहीं है लेकिन जब उनकी शिकायत आती है तो सरकार उनके बारे में कार्रवाई करती हैं । जहां तक कोर्सिस का सवाल है तो जिस तरह से एन.सी.आई. और डी.सी.आई. पेपर्स में ऐडवरटाइजमेंट देती हैं और समय-समय पर यह बताती हैं कि यही इंस्टिट्यूशन्स हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं और अगर नॉन-रिकग्नाइज्ड इंस्टिट्यूशन्स में आप कोई कोर्स करेंगे या पढ़ाई पढ़ेंगे तो वह आपके रिस्क पर होगी । इसी तरह से हमने तय किया है कि इंडियन मेडिसिन सिस्टम के जो कॉलेज हैं, उनकी लिस्ट अभी वेब साइट पर तो डाल दी है लेकिन समय-समय पर उनके बारे में भी इस तरह अखबारों में इश्तहार दिए जाएंगे, जिनमें यह बताया जाएगा कि केवल यही कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता –प्राप्त है ताकि स्टूडेंड्स सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं और उनके गैर-मान्यताप्राप्त कॉलेजों के अदंर ऐडमिशन न लें क्योंकि अगर वे गैर-मान्यताप्राप्त कॉलेजों में ऐडमिशन लेते हैं तो उन्हें राइट टु प्रेक्टिस नहीं होगा ।

जहां तक उन्होंने यह पूछा है कि जो इंस्टिट्यूशन्स रिकग्नाइज्ड हैं क्या उनके लिए कोई कोर्सिस कोई स्टेंडर्ड तय हैं, इस बारे मे मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि बिल्कुल उनके लिए स्टेंडर्ड तय है और जो काउंसिल्स उनको मान्यता देती है, उन्होंने स्टेंडर्ड तय किए हुए हैं । से स्टेंडर्ड काफी बड़े हैं, अगर उनको डिटेल चाहिए तो मैं उनका डायरेक्टली भी भिजवा सकती हूं ।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Madam, it has come in the newspapers that M/s Vaidyanath Research Foundation has started six months course for the students. We all know that medical practioners must undergo a five-year course. The students who want to practice Indian Medicine, or, Homoeopathy, or, any other medical course, must have a minimum four years experience, but these people are starting six months course. I would like to know from the hon. Minister whether they have power to close such institutions or not.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन को बता दूं कि यह कोर्स केवल आयुर्वेद अवेअरनैस का कोर्स था । इस न्यूज आइटम के बाद हमने दिल्ली सरकार से भी और उस संस्था से भी, जिसने यह कोर्स चलाया था, इसकी जानकारी मांगी । जो एम.बी.बी.एस. पढ़ चुके हैं , जो योगा में प्रशिक्षित हो चुके हैं, उनके लिए एक आयुर्वेद अवेअरनैस का 6 महीने का कोर्स उन्होंने किया था और ऐडवरटाइजमेंट में भी और बाद में नोटिस लगाकर भी उन्होंने यह बात कह दी थी कि इसमें कोई डिप्लोमा यह इस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा जिससे कि आप लोग प्रेक्टिस कर सकें । यह हम लोगों की एक घोषित नीति है और हम चाहते हैं कि

इवन जो माडर्न मेडिसिन पढ़ रहे हैं, उन्हें भी भारतीय चिकित्सा पद्धत्तियों के बारे में और खास तौर से आयुर्वेद के बारे में पता हो । आयुर्वेद की एक अच्छी संस्था होने के कारण वैद्यनाथ ने एक अवेअरनैस प्रोग्राम शुरू किया था 6 महीने का । इनका ब्रोशर हमने मंगाकर देखा तो उसमें जो ऐलिजिबल केंडिडेट्स हैं वे एम.बी.बी.एस. हैं । यानी अगर आप डाक्टरी पढ़े हुए हैं औ 6 महीनें के लिए आप आयुर्वेद का भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उसके माध्यम से स्वास्थ्य की जानकारी लेना चाहते हैं तो वह लें, लेकिन उन्हें आयुर्वेदिक प्रेक्टिस करने का कोई अधिकार यह कोर्स नहीं दे रहा था ।

SHRl M.R ABDUSSAMAD SAMADANI: Madam, we all know that the system of ayurveda medicine is growing day by day. It holds a very bright future. Throughout the world, there is a great attraction for this system. I would like to know the stand of the Government with regard to the musrooming of the so-called ayurveda centres which are conducted and run by unqualified persons. Many centres are being opened, throughout the country, just to attract tourists. And, they are run by the people who have nothing to do with ayurveda. They do not possess the requisite qualifications. It is causing a great damage to the entire system of medicine. Madam, especially in ayurveda, there is a great relevance of more and more scientific research and going deep into the subject. Still, such institutions are being opened, throughout the country, not just to attract tourists, but many other things are also going on there. I do not want to mention those things.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have put your question. Let her answer.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, जैसाकि माननीय सासंद ने स्वयं कहा है कि आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्वभर में बढ़ रही हैं। जब किसी चीज की लोकप्रियता बढ़ती है तो उसकी संस्थाएं भी बढ़ती हैं, इसलिए यह कहना कि मशरूमिंग ग्रोथ हो गई है, यह सच नहीं है । अगर आप देखेंगे तो पिछले वर्षो में जितने भी आयुर्वेदिक कालेज खुले हैं, वे मशरूमिंग ग्रोथ की वजह से नहीं बढ़े हैं। वे उसकी लोकप्रियता के कारण बढ़े हैं। बाकी जो बातें माननीय सदस्य ने कही हैं-अन-क्वालिफाइड लोग इस तरह की चीजें खोल लेते हैं तो मैंने पहले ही प्रश्नों के उत्तर में इसका जवाब दे दिया है कि जो रिकगनाइज्ड इन्स्टीटयूशन्स है, उनके नाम एक वैब साइट पर हैं। लेकिन अब हमने तय किया है कि उनकी लिस्टें, उनकी सूचियां हम लोग अलग से अखबारों में भी प्रकाशित करवायेंगे यदि इस तरह की कोई संस्था खडी हो जाती है और वह गवर्नमेंट से रिकगनाइज नहीं है तो वह अपने रिस्क पर ही काम करती है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि यह बात तो सच है कि सारे विश्व में आयुर्वेदिक और हर्बल मेडीसिन की एक नई परम्परा, एक नई शुरूआत हुई है । जहां पहले बड़ी-बड़ी दुकानों के एक कोने में आयुर्वेदिक और हर्बल मेडीसन्स पड़ी रहती थी, आज उन दुकानों का आधार हिस्सा हर्बल मेडीसन्स ने ले लिया है। भारत आयुर्वेद का जन्मदाता है। जब कॉलेज की बात है, इंस्टीट्यूशन्स की बात है, उनके बारे में मंत्री महोदया ने बताया है कि कुछ स्टैंडर्ड बनाये हैं, कुछ गाइडलाइन्स बनाई हैं । आज की डेट में तो छात्र है, जब वह अपने लिए अपोरच्युनिटी ढूंढता है कि उसको किस लाइन में जाना चाहिए तो आज भी वह कोशिश करता है कि वह एमबीबीएस करे या इंजीनियरिंग का कोर्स करें । उसका अट्रेक्शन आयुर्वेद की ओर बढ़ाने के लिए, इस एजुकेशन को जॉब अपोरच्युनिटी के साथ जोड़ने के लिए कोई गाइडलाइन्स या कोई ऐसी शुरूआत सरकार कर रही है ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहूंगी कि अभी जो हमने नीति घोषित की हैं आइएसएम एंड एच की, जिसको इंडियन सिस्टम आफ मेडीसन एंड होम्योपेथी कहते है, उसमें हम लोग बाकायदा एक पॉलिसी लेकर आये हैं। उसमें हमने सभी राज्य सरकारो को सलाह दी है कि उनका जो अपना नेशनल हैल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, जो उनके प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स है, कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर्स हैं, उनके अंदर वे इन सारे आयुर्वेदिक प्रेक्टिशनर्स को लें इससे आटोमेटिकली जॉब अपोरिच्युनिटीज बढ़ जाती हैं । जिन सरकारों ने हमारी इस सलाह पर अमल किया है, जैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, वहां इतना बड़ा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर नेशनल हैल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में राज्य सरकारों के माध्यम से आया है । यह सब उनकी जॉब अपोरिच्युनिटीज़ बढ़ाने की चीज हैं।

DR. RAJA RAMANNA: Madam, I am not so worried about mushrooming of Ayurveda courses, but I am worried about mushrooming of various ayurvedic medicines that are available in the market. They are beautifully bottled, nicely shaped, and claim many cures, which, I presume, is checked by a Government body. May I know from the hon. Minister whether it is true or not? I have my own doubts. White they may be workable for some kind of symptoms, but, the important point is. it should be made sure that they do not have side-effects. It is very important part of alopathic medicines. A medicine is introduced only after clinical trials. It is alo ensured that it has no side-effects. It is true that in the preparation ofr ayurvedic medicines, only natural chemicals are used; therefore, the side-effects are automatically bound to be less. But hundreds of bottles are being used for ayurvedic medicines for constipation, for paediatric purposes; I cannot be sure that all these things have been tested. What does the Government propose to do to keep a check on these questionable medicines?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, आयुर्वेदिक दवाएं वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी उतरें, उनकी गुणवत्ता बढ़े, उनमें किसी तरह की क्वालिटी कम न हो, इसके लिए हमारी जो पॉलिसी आयी है, उसमें हमने काफी उपाय किए हैं। एक तो जी.एम.पी. – जिन्हें गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसिज़ कहते हैं-वह आयुर्वेदिक दवाओं पर भी लागू हो, यह तय किया है । इसके अलावा जो टैस्ट करने वाली ड्रग लैबोरेटरीज हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट की लैबोरेटरी को स्ट्रैथन करने के लिए हमने अपनी ओर से पैसा देने की स्कीम बनायी है । हमारी जो ड्रग टैस्टिंग लैबोरेटरीज हैं, उनमें भी यह गुणवत्ता कायम रहे, जिसके संबंध में डा. राजा रामण्णा ने चिंता व्यक्त की है, उसी चिंता में शिकायत करते हुए सरकार ने यह कदम लिया है ।

Menace of spurious drugs

*163. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a meeting was convened by her Ministry on 27th January to deal with the menace of spurious drugs In the market;

(b) If so, the details thereof;

(c) the composition of Committee under Chairmanship of Dr. Mashelkar; and

(d) the action proposed by the said Committee?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Union Minister of Health and Family Welfare had invited the representatives of Pharmaceutical industry on 27.1.2003 to have a general discussion on the problem of spurious drugs as a part of the various measures taken to address this issue and to seek the active participation of the industry to fight this menace. The industry representatives expressed their appreciation for the initiatives being taken by the Government and assured to extend all necessary cooperation. During the discussion, a need was expressed for improved uniformity in the enforcement strategies